न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेश सोनी आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :–103 / 2009

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1.रतनसिंह पुत्र वचनाजी	1.मंगला के वारिसान
2.शंकरसिंह पुत्र केसाजी	1 / 1.सीतादेवी बेवा मंगला
3.भंवरसिंह पुत्र केसाजी	1 / 2.मांगीलाल पुत्र मंगला
4.दामोदरसिंह पुत्र केसाजी	1 / 3.पुखराज पुत्र मंगला
5.बाबूसिंह पुत्र केसाजी	1 / 4.गौतम पुत्र मंगला
जाति पुरोहित	1 / 5.चंदनसिंह पुत्र मंगला
निवासी–खेतेश्वर,ब्रहमधाम	जाति,पुरोहित निवासी–खेतेश्वर,ब्रहमधाम
तीर्थ,आसोतरा तहसील पचपदरा	तीर्थ,आसोतरा तहसील पचपदरा
	2.छोगा पुत्र फुआ जाति पुरोहित
	3.करना के वारिसान
	3 / 1.पार्वतीदेवी बेवा करनाजी
	3 / 2.जबरसिंह पुत्र करनाजी
	जाति पुरोहित निवासी खेतेश्वर,ब्रहमधाम
	तीर्थ,आसोतरा तहसील पचपदरा
	3 / 3.हविया पुत्री करनाजी पत्नि लालसिंह जाति पुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना
	3. / 4.शायरों पुत्री करनाजी पत्नि वगतावरसिंह,जाति–पुरोहित निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा
	3 / 5.चंदा पुत्री करनाजी पत्नि हनुमानसिंह जाति पुरोहित निवासी जागसा तहसील पचपदरा
	4.गोमती पुत्री सवजी बेवा केसाजी पुरोहित
	5.वगताजी पुत्र सवजी जाति पुरोहित
	6.कोनसिंह पुत्र सवजी जाति पुरोहित

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

7.अर्जुनसिंह पुत्र सवजी जाति पुरोहित

8.बादली बेवा सवजी जाति पुरोहित

निवासी खेतेश्वर ब्रहमधाम

तीर्थ,आसोतरा तहसील पचपदरा

9.तहसीलदार पचपचदरा

10.भोपालसिंह पुत्र जवाहरसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी बालोतरा

तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता,वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व 10 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 8 व 9 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 04/10/2022

1. संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 एक ही कुटुम्ब परिवार के है,मुतवफी प्रतापजी के चार पुत्र केसाजी,संवजी, वचनाजी व करना है,जिसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 है,कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 03 से 08 के मुतवफी प्रतापजी की खुदकाश्त भूमि ग्राम श्री खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ की खेत खसरा संख्या 393 रकबा 06–17 बीघा व खसरा संख्या 396 रकबा 05 बीघा भूमि अवस्थित थी,जिस पर वक्त सेटलमेंन्ट पुर्व से प्रतापजी का कब्जा काश्त था और वक्त सेटलमेंन्ट के समय विवादित भूमि प्रतापजी के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने सेटलमेन्ट विभाग के

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अधिकारियो से मिलिभगत कर अपने नाम भूमि इन्द्राज करवा दी,जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः उक्त प्रविष्टि को हटाते हुए वादीगण विवादित भूमि खेत खसरा संख्या 393 रकबा 06–17 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 57/274 हिस्सा भूमि प्रविष्टि हटाते हुए वादी संख्या 03 से 06 के नाम के घोषित करवाने व खेत खसरा संख्या 396 रकबा 05 विस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की प्रविष्टि को हटाते हुए 1/4 हिस्सा वादी संख्या 01 व 02 के नाम, 1/4 हिस्सा वादी संख्या 01 व 06 के एवं प्रतिवादी संख्या 04 के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम एंव 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 से 8 के नाम घोषित करवाने व प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया,।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की ओर से पृथक –पृथक अधिवक्ताओ द्वारा वकालतनामा पेश किए। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अधिवक्ताओं की ओर से वादीगण के वाद तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 08 द्वारा वादीगण के वाद तथ्यो को स्वीकार कर वाद डिक्री करने का निवेदन करते हुए जवाबदावा पेश किया । दौराने दावा बेचान होने पर प्रतिवादी संख्या 10 को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। वकील वदीगण की ओर से संशोधित वाद पेश किया गया,जिसका प्रतिवादी संख्या 01 वकील द्वारा संशोधित वादपत्र का खण्डन करते हुए विस्तृत जवाबदावा पेश किया।

3. वादीगण के वाद पत्र व प्रतिवादी गण के जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम की गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 01—आया वादीगण राजस्व अभिलेख ग्राम खेतेश्वर तीर्थ धाम के खसरा संख्या 835/393 में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाकर वादीगण संख्या 3 से 8 के नाम घोषित करवानें के अधिकारी है? जिम्मे—वादीगण

तनकी संख्या 02—आया वादीगण आराजी खसरा संख्या 396 रकबा 5 बिस्वा ग्राम खेतेश्वर तीर्थ धाम के अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हटाकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम घोषित कराने के अधिकारी है?

जिम्मे—वादीगण

तनकी संख्या 03—आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

जिम्मे—वादीगण

तनकी संख्या 04—आया वादपत्र वादी भू प्रबन्ध ऑपरेशन के पश्चात निर्धारित अवधि में पेश नहीं होने से अन्दर म्याद नहीं है?

जिम्मे—प्रतिवादी

तनकी संख्या 05—आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में किये गये बयानों से भिन्न अन्य कोई कथन करने से विबन्धित है ?

जिम्मे—प्रतिवादी

तनकी संख्या 06—आया तथाकथित बिना तारीख का बंटवाड़ा भूमि धारक की लिखित सहमति के बिना शून्य है ?

जिम्मे—प्रतिवादी

तनकी संख्या 07—आया समुचित वादकरण गठित होने के तथ्यों के अभाव में वादपत्र वादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में रिजेक्ट करने योग्य है?

जिम्मे—प्रतिवादी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 08–आया तथाकथित इकरारनामा दिनांक 01.2.2006 साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है और न किसी भी उददेश्य के लिखा पढा जा सकता है ?

जिम्मे–प्रतिवादी

तनकी संख्या 09–आया तथाकथित अपंजीकृत इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित नहीं है ?

जिम्मे–प्रतिवादी

तनकी संख्या 10–दादरसी

4. वादीगण गवाहान साक्ष्य में PW-01 दामोदरसिंह, PW-02 खीमसिह PW-03 गुणेशाराम, द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में EX-01 ग्राम श्री खेतेश्वर बहमधाम तीर्थ की खसरा संख्या 834/393 जमाबंदी संवत 2065 से 2068,EXP-01 इसी ग्राम की खेत खसरा संख्या 835/393 जमाबंदी संवत 2065 से 2068,EXP-03 ग्राम आसोतरा की जमाबंदी संवत 2024 प्रति,EXP—04 श्री खेतेश्वर बह्मधाम तीर्थ की खसरा संख्या 396,644 जमाबंदी संवत 2065 से 2068,EXP-05 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति,EXP-06 रतनसिंह पुत्र विशनसिंह के नाम जारी विधुत कनेक्शन बिल प्रति,EXP-07 अर्जुन सिंह पुत्र शिवसिंह राजपुरोहित आसोतरा के नाम जारी विधुत संबध हेतु प्रति,EXP-08 अर्जुनसिंह पुत्र शिवसिंह राजपुरोहित के नाम जारी डिंमाड रसीद, EXP-09 अर्जुन सिंह पुत्र शिवसिंह राजपुरोहित के जारी विधुत बिल प्रति,EXP-10 जबर सिंह पुत्र करणसिंह के नाम जारी विधुत बिल, EXP-11 जबर सिंह पुत्र करण सिंह आसोतरा के नाम जारी विधुत बिल प्रति,EXP-12 लेख्य बेचान पत्र श्री मंगला पुत्र फुआजी पुरोहित निवासी आसोतरा, EXP-13 श्री मंगला पुत्र फुआ पुरोहित द्वारा लिखित पत्र,EXP-14 विवादित भूमि की जमाबंदी प्रति व EXP-15 विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2028 से 2042 तक व EXP-16 विवादित भूमि जमाबंदी एवं EXP-17 विवादित भूमि की खरसरा गिरदावरी प्रदर्शित करवाये गये।

06.प्रतिवादी साक्ष्य में DW-01 भोपाल सिंह द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

07.हमने दोनो पक्षो के विद्धान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई थी। वक्त बहस वादीगण के वकील ने वाद तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया था,कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है और वक्त सेटलमेन्ट पूर्व से आज दिनांक तक वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वक्त सेटलमेन्ट के समय प्रतिवादी संख्या 01 व 1 ने सेटलमेंट विभाग के अधिकारियो से मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में इन्द्राज कर दी,जबकि सेंटलमेंट पूर्व से आदिंनाक तक वादीगण व प्रतिवादी सं. 03 से 08 का कब्जा काश्त चला आ रहा है,और एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तानुसार वादीगण खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी है। गांव के मौजूद लोगो ने पक्षकारान से समझौता करवाते हुए विवादित संख्या 393 में प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने 217/274 हिस्सा की रजिस्ट्री स्व. केसाजी की पत्नि गोमती के हक में करवा दी,लेकिन शेष हिस्सा 57/274 की रजिस्ट्री करवाने में टालमटोल कर रहे है। जबकि ख.नं. 396 रकबा 05 बिस्वा पर वादीगण की रहवासीया ढाणीयां बनी हुई है,लेकिन रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 01 व 02 के नाम इन्द्राज है,जो कि वक्त सेटलमेन्ट के समय राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत ख.नं. 393 भूमि में हिस्सा 57/274 प्रतिवादी सं.01 के नाम प्रविष्टि निरस्त करते हुए वादी सं.03 से 06 के नाम खातेदारी घोषित की जावे व ख.नं. 396 रकबा 5 विस्वा भूमि में प्रतिवादी सं.01 व 02 के नाम प्रविष्टि निरस्त करते हुए 1/4 हिस्सा वादी सं. 01 से 06 के नाम, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 03 के नाम , 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 04 के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं.05 से 08 के नाम खातेदारी घोषित की जावे और वाद वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी सं. 01 व 02 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

8.इसके विपरीत वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व प्रतिवादी संख्या 10 की बहस थी, कि वादीगण का वाद गलत तथ्यो के आधार होने के कारण खारीज योग्य है,क्योंकि वादग्रस्त भूमि जागीरी गांव नहीं था, जो खालसा गांव था, जिसका 02 बार सेटलमेंन्ट हो रखा है और प्रथम सेटलमेन्ट व द्वितिय सेटलमेन्ट से भी भूमि प्रतिवादी सं.1 व 02 की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी इन्द्राज हुई है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। क्योंकि सेटलमेंट विभाग ने वक्त सेटलमेंट के समय मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही रेकर्ड संधारण किया था.वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं.01 व 02 का कब्जा काश्त होने के कारण वक्त सेटलमेंट भूमि उनके नाम इन्द्राज हुई और विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई समझौता नही हुआ था.श्रीमति गोमतिदेवी ने प्रतिवादी सं.01 व 02 को काबिज खातेदारी मानकर ख.नं. 343 रकबा 06.17 बीघा भूमि मे से 5.08 बीघा भूमि सप्रतिफल खरीद की और शेष भूमि प्रतिवादी सं.01 व 02 ने प्रतिवादी सं.10 को बेचान की गई.इस प्रकार वादीगण का विवादित भूमि मे कोई हक नहीं है। वादीगण की ओर से अपने वाद व बहस मे जाहिर किया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है। प्रतिकुल कब्जा के आधार पर वाद चल ही नही सकता है। अतः मे निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वक्त सेटलमेन्ट से आदिनाक तक टिनेन्ट खातेदारी इन्द्राज होती आ रही है और वादीगण का कोई हक हकूक नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन मे 2013DNJ(REV)पृष्ठ 249 न्यायिक दृष्टात पेश किया।

9.हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं न्यायिक द्रष्टांत का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में कायम तनकीयात के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

तनकी संख्या 01–आया वादीगण राजस्व अभिलेख ग्राम खेतेश्वर तीर्थ धाम के खसरा संख्या 835/393 में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाकर वादीगण संख्या 3 से 6 के नाम घोषित करवानें के अधिकारी है। जिम्मे–वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है,वादी पक्ष की ओर से वादी साक्ष्य मे पी. डब्ल्यू 01 से 03 गवाहान पेश किए और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 से 17 पेश किये। वादी संख्या 04 स्वयं पी.डब्ल्यू–01 द्वारा अपने लिखित बयानात स्वरूप शपथ–पत्र में वाद

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बयानात पेश किए,जिसमें वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी बताते हुए वक्त सेटलमेंट पूर्व व बाद में मुतवफी प्रतापाजी कब्जा काश्त बताया तथा खसरा नम्बर 396 रकबा 5 विस्वा भूमि पर प्रतापाजी के चार पुत्रों केसाजी,सवाजी,वचनजी व करना के परिवार की रहवासिया ढाणी बनी हुए है और खसरा नम्बर 393 रकबा 6–17 बीघा भूमि प्रतापाजी की खुदकाश्त भूमि थी और वक्त सेटलमेंट पूर्व से प्रतापाजी का कब्जा काश्त बाद में पारिवारिक बंटवाड़ा में अपने ज्येष्ठ पुत्र करनाजी को हक हिस्से में दी थी,जो निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है,लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने तत्कालीन सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों से मिलिभगत कर अपने नाम वक्त सेटलमेंट खातेदारी इन्द्राज करवा दी, जबकि इनका हक हिस्सा नहीं है,और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य गांव के मौजूद लोगों ने समझौता करवाया,तो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने खसरा संख्या 393 में हिस्सा 217/274 की रजिस्ट्री केसाजी की वारिस गोतमीदेवी के नाम रकवा दी। लेकिन शेष हिस्सा 57/274 रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया और 55 वर्ष से अधिक समय से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी वादीगण व प्रविवादी संख्या 03 से 08 की घोषित की जावें। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा उक्त गवाहान से लम्बी जिरह की गई,जिसमें उक्त गवाहान ने स्वीकार किया है,कि विवादित भूमि वक्त सेटलमेंट प्रविवादी संख्या 01 व 02 के नाम इन्द्राज हुई थी और यह भी स्वीकार किया है,कि वादीगण के नाम कोई लगान रसीदें नहीं है,प्रदर्श 06 से 11 में किसी भी दस्तावेज में खसरा नम्बर अंकित नहीं है,यह स्वीकार किया है,कि विवादित भूमि में खसरा नम्बर 393 में 5–08 बीघा गोतमीदेवी द्वारा जरिये रजिस्ट्री क्रय की गई। वादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित होता हो,कि प्रथम सेटलमेंट के समय खातेदारी इन्द्राज हुई हो,रि–सेटलमेंट में भूलवशं वादीगण की प्रविष्टि रही हो। विवादित भूमि वक्त सेटलमेंट से आंदिनांक तक प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी रही है और एडवर्स पजेंशन के आधार पर खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती है,जो 2013 DNJ (Rev.) पृष्ठ 249 न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा होता है। पी.डब्ल्यू. 02–खीमसिंह व पी.डब्ल्यू.03–गुणेशाराम द्वारा भी वाद के तथ्यों

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

को दोहराकर लिखित बयानात पेश किए,उक्त गवाहान से भी लम्बी जिरह हुई। लेकिन गवाहान बयानात से यह साबित नहीं होता है,कि विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 की खुदकाशत खातेदारी भूमि हों। प्रदर्श 06 से 11 विद्युत कनेक्शन के बिल प्रति है, जिससे यह साबित नहीं होता है,कि यह विद्युत कनेक्शन वादग्रस्त भूमि से संबंधित हों। उक्त गवाहान के बयानात व दस्तावेजात से यह साबित नहीं कर पाये कि वादग्रस्त भूमि प्रतापाजी की खुदकाशत रही हो और एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 01 वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये है।

तनकी संख्या 02–आया वादीगण आराजी खसरा संख्या 396 रकबा 5 बिस्वा ग्राम खेतेश्वर तीर्थ धाम के अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हटाकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम धोषित कराने के अधिकारी है। **जिम्मे–वादीगण**

जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाहन पी.डब्ल्यू. 01 से पी.डब्ल्यू.–03 गवाहान एंव दस्तावेजी साक्ष्य से यह कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है,कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 05 विस्वा पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 03 से 08 का कब्जा काश्त हों,केवलमात्र मौखिक कथन करने से खातेदारी नहीं दी जा सकती है। खातेदारी प्राप्त करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्या सबूत होना आवश्यक है। जो वादीगण साबित नहीं कर पाये है। जो तनकी संख्या 02 भी वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये है।

तनकी संख्या 03–आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है **जिम्मे–वादीगण**

जिसे जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादी पक्ष पर हो। जब तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये हैं,तो स्थाई निषेद्याज्ञा जारी करवाने के हकदार नहीं हे। जो तनकी संख्या 03 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 से 09 सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यों के दोहराव से बचने के लिए एक साथ विवेचन किया जा रहा है,चूंकि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा जारी करवाने का वाद लाये थे। जिन्हें अपना वाद सिद्ध करने के

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिए तीन विवाद के बिन्दु (तनकीयात) निहित किये थे,जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर था,लेकिन वे अपनी ओर से बनी तनकीयात को सिद्ध करने में असफल रहे हैं और वादीगण की ओर से अपने वादपत्र व बहस में भी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही गई,जो कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है,ऐसा 2013 DNJ (Rev.) पृष्ठ 249 न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित है। विवादित भूमि के संबंध में वादीगण का दीवानी वाद भी खारिज हो चुका है। वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण तनकी संख्या 4 से 9 का विस्तृत विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वादीगण पर भार था,कि वे अपनी ओर से निर्धारित तनकीयात को साबित करें। जिसे साबित करने में वादीगण असफल रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि तनकी संख्या 01 से 03 वादीगण साबित नहीं किये जाने के कारण वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं।

लिहाजा वादीगण का वाद तनकी संख्या 01 से 03 सिद्ध नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा